न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
96/24	212 RTA	गोपालपुरा	बारां

प्रार्थी	वाद शीर्षक	अप्रार्थी
घासीलाल	बनाम	कन्या बाई वगै0

वकील :– **आदेश पत्रक** वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
08.11.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08/01/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी क्रम-1 की ओर से श्री गजेन्द्र कुमार नागर एड. का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम-5 की ओर से श्री ओमप्रकाश [illegible] एड. का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम-3 का नोटिस बाद तामील प्राप्त। बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं। उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी क्रम-2,4,6 की ओर से श्री राजेश नागर एड. ने Undertaking की। पत्रावली वास्ते जवाब/वकालतनामा दिनांक 20-1-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20-1-25	पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरीकेन उप0 ~~वकील प्रार्थी~~ अप्रार्थी क्रम-2,4 व 6 की ओर से श्री राजेश नागर एड. का वकालतनामा पेश नहीं हुआ। समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते वकालतनामा/जवाब दिनांक 12-3-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-3-25	पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 7-5-25 को प्रस्तुत हो। (हस्ताक्षर) रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	~~[illegible]~~

	कार्यवाही एवं आदेश	वि
06/8/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पक्ष के वकील उप। वकील अप्रार्थी क्र.-5 जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं जवाब बन्द किया जाता है। बहस वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/8/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाराँ	
25/8/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पक्ष के वकील उप। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बाराँ	

निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 96/2024
दायरा दिनांक :– 08.11.2024
निर्णय दिनांक :– 25/8/2025

उनवान

1. घांसीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी गोपालपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0

–प्रार्थी

बनाम

1. कन्या बाई आयु 45 वर्ष पुत्री प्रभुलाल जाति किराड
2. घांसी आयु 46 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति किराड
3. छीतरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति किराड निवासीगण गोपाल पुरा तहसील व जिला बारां
4. भूली आयु 45 पुत्री लाला उर्फ हीरालाल पत्नी द्वारकालाल जाति किराड निवासी बडा तह0 बारां जिला बारां
5. रमेशचन्द आयु 44 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति किराड
6. सत्यनारायण आयु 62 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति किराड निवासीगण गोपालपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
7. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 25/8/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री शेलेष मेहता एड – प्रार्थी
2. श्री गजेन्द्र नागर एड – अप्रार्थी कम 1
3. श्री ओम भारद्वाज एड– अप्रार्थी कम 5

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम माल गोपालपुरा तहसील बारां पटवार हल्का लिसाडिया में खाता संख्या नया 62 पुराना 53 की आराजी खसरा नं0 391 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 392 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 393 रकबा 0.27 हे0, कुल 3 किता कुल रकबा 0.63 हे0, जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्सा निहित है जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण कन्या बाई का 1/20, घांसीलाल का 1/8, छीतरलाल का

उप खण्ड अधिकारी
बारां

1/10, भूली बाई का 1/8 व रमेशचन्द्र का 1/20, तथा सत्यनारायण का 1/20, हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को बाहमी बंटवारे में खसरा नं0 392 रकबा 0.33 हे0 प्राप्त हुआ था तब से प्रार्थी उपरोक्त आराजियात पर बहैसियत मालिक व खातेदार कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा बाहमी विभाजन अनुसार तथा काबिज काश्त अनुसार प्रार्थी उपरोक्त आराजी का बंटवारा करा पा सकने की अधिकारी है। संयुक्त खाता होने से तथा उपरोक्त आराजियात वर्तमान में स्टेट हाईवे में अधिग्रहित हो जाने के कारण तथा उक्त अधिग्रहण में मिलने वाले मुआवजे के लालच में आकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी का मुआवजा लेने पर आमादा है जबकि अधिग्रहित आराजी पर प्रार्थी का ही अधिकार है तथा रकबा कम होने की स्थिति में प्रार्थी को ही अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थी ही उक्त अधिग्रहण में मुआवजे का अधिकारी है परन्तु अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण उसका फायदा उठाकर मुआवजा लेने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वाद/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा में किया जाना संभव नही है। अत': प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार के मुआवजे व सरकारी सहायता का उपयोग उपभोग ना करे तथा उपरोक्त विवादित आराजियात का अन्यत्र की रहन बेचान गिरवी हस्तान्तरण नही करें न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी कम 2ता 4 एवं 6 बावजुद सूचना के न्यायालय में उप0 नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी कम 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोपालपुरा सम्वत 2070–2073 खाता संख्या नया 62 पुराना 53, नकल नक्शा एवं जमाबन्दी गोपालपुरा खाता संख्या नया 62, पुराना 53, खसरा संख्या 391, नकल नक्शा एवं जमाबन्दी गोपालपुरा खाता संख्या नया 62, पुराना 53, खसरा संख्या 392, नकल नक्शा एवं जमाबन्दी गोपालपुरा खाता संख्या नया 62, पुराना 53, खसरा संख्या 393, खसरा गिरदावरी वर्ष 2024, खसरा गिरदावरी वर्ष 2024, पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है, कि वाके ग्राम माल गोपालपुरा तहसील बारां पटवार हल्का लिसाडिया में खाता संख्या नया 62 पुराना 53 की आराजी खसरा नं0 391 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 392 रकबा 0.33 हे0, खसरा नं0 393 रकबा 0.27 हे0, कुल 3 किता कुल रकबा 0.63 हे0, जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण कन्या बाई का 1/20, घांसीलाल का 1/8, छीतरलाल का 1/10, भूली बाई का 1/8 व रमेशचन्द्र का 1/20, तथा सत्यनारायण का 1/20, हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को बाहमी बंटवारे में

उप खण्ड अधिकारी
बारां

खसरा नं0 392 रकबा 0.33 हे0 प्राप्त हुआ था तब से प्रार्थी उपरोक्त आराजियात पर बहैसियत मालिक व खातेदार कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है। संयुक्त खाता होने से तथा उपरोक्त आराजियात वर्तमान में स्टेट हाईवे में अधिग्रहित हो जाने के कारण तथा उक्त अधिग्रहण में मिलने वाले मुआवजे के लालच में आकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी का मुआवजा लेने पर आमादा है जबकि अधिग्रहित आराजी पर प्रार्थी का ही अधिकार है तथा रकबा कम होने की स्थिति में प्रार्थी को ही अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थी ही उक्त अधिग्रहण में मुआवजे का अधिकारी है परन्तु अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण उसका फायदा उठाकर मुआवजा लेने पर आमादा है। वाद/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन हर प्रकार से प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा में किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार के मुआवजे व सरकारी सहायता का उपयोग उपभोग ना करे तथा उपरोक्त विवादित आराजियात का अन्यत्र की रहन बेचान गिरवी हस्तान्तरण नही करें न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है, कि मिथ्या आधारों पर वाद पेश किया है जो मिथ्या मनगढन्त आधारों पर होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 मिथ्या मनगढन्त होने से अस्वीकार है और कथन है कि खसरा नं0 391 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 392 रकबा 0.63 हे0, खसरा नं0 393 रकबा 0.27 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 हे0, वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का लिसाडिया तह0 बारां में 1/2 हिस्सा निहित होना स्वीकार है लेकिन अप्रार्थीया क्रम 1 का भी 1/20 हिस्सा है विवादित होना अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2, 3 में उक्त वर्णित आराजी शामलाती खाते में दर्ज होना स्वीकार है शेष मद हाजा मिथ्या मनगढन्त होने से अस्वीकार है और कथन है कि आराजी खसरा नं0 392 रकबा 0.33 हे0 पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही कोई बाहमी बंटवारा अनुसार खेती कर रहै है। सम्पूर्ण आराजी में सभी सहखातेदारान का अपने हक व हिस्सा निहित है। सिर्फ स्टेट हाइवे में अधिग्रहण होने के कारण व मन लालच आ जाने के कारण आराजी खसरा नं0 392 रकबा 0.33 हे0 में अपना कब्जा काश्त होना कहता है जबकि ऐसा नही है खसरा नं0 392 में भी सभी सहखातेदारान का हक व हिस्सा निहित है। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी प्रार्थी नहीं है। प्रार्थी का वाद किसी भी प्रकार से ठोस आधारो पर आधारित नही है। और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। और ना ही किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अगर प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित कर दिया गया तो अनावश्यक रूप से अपने हक व हिस्से की आराजी जो स्टेट हाइवे द्वारा अधिग्रहण की जावेगी जिसमें सभी सहखातेदारान का अपने हक व हिस्सा निहित है। उसके लिये मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित हो जावेंगे। इसलिये अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारो पर पेश करने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर पेश होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं